फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नारायणी बाई बनाम विपक्षी : श्रीमती उंकारीबाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 04/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 का जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती भूमि हैं जिसका कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है। उक्त भूमि का कानूनी रूप से विभाजन नहीं होने से वादी को ऋण लेने, लगान जमा कराने में कठियाई हो रही है जिससे वादी वादग्रस्त भूमि को संयुक्त नहीं रखना चाहता है जिससे हिस्से कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने पाया कि वादग्रस्त भूमि सामलाती भूमि होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज रेकर्ड है। वादग्रस्त आराजीयात सामलाती भूमि होने से व कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं होने से बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता हैं कि मौजा संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या नया 07 की आराजी नम्बर 1144 किता 1 कुल रकबा 1.0800 है. भूमि में राजस्व रेकर्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य हिस्से कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों व रेवेन्यु रूल्स 18 से 21 का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 27.10.2025 को पेश हो।